

सहायक कलेक्टर माण्डल

7/6  
24

पत्रावली पेश हुई वकील प्राचीनण स्वचित, विपक्षीय  
के सम्मन बाद वामिल होकर बजि वरी लेखन हुए  
जिसे शाफ किये गये। विपक्षीय को कितनी बार  
कुक-कुक कर आवाजे उलायी जाने के बाद भी उपस्थित  
नही, इनके निकट एक तरका कार्यवाही किये जाने का  
आदेश दिया जाता है। वकील प्राचीनण का डा-पत्र स्वीकार  
किया जाकर निरुपि घुपट से लिखा जाकर शाफ को  
किये गये। पत्रावली फँसल शुमार होकर गभर से का ही।

✓

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

